

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-02/विविध-07-07/2014:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री राजेन्द्र तिवारी, प्राक्कलन पदाधिकारी, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा के दिनांक 19.07.2013 से बिना सूचना दिए लगातार अपने कार्यालय/मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता से कार्य करना, सरकारी कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने संबंधी आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. श्री तिवारी को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलम्बन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची निर्धारित किया जाता है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

2063

/राँची, दिनांक:-

6-3-14

/

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/श्री राजेन्द्र तिवारी, प्राक्कलन पदाधिकारी, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा/श्री राजेन्द्र तिवारी, ग्राम-तिवारीडीह, पो.-बेलवाँ, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार) मो. नं.-9631478709/विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

53-14